न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 307 / 2017 / 225 आरटीए

रूपसिंह उर्फ स्वरूपसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. मांगीलाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. श्योकरण पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. शिशपाल पुत्र सुमेर जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रोहिताश पुत्र सुमेर जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. काशीराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.02.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र0सं0 75 / 2016 अनवानी मांगीलाल आदि बनाम काशीराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांक –19.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद स्थाई कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. रेस्पो0 सं. 1 ता 6 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण अधिवक्ता अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किऐ कतई एक पक्षीय तौर से पारित कर अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त मात्र यह उल्लेख करते हुए कि चूंकि पक्षकारान के हिस्सो का निर्धारण मूल वाद मे प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य एवं निर्णय के आधार पर होना है एवं गैरसायलान ने भी बावजूद तामील न्यायालय मे उपस्थित नही आने के कारण दरख्वास्त सायलान का कोई खण्डन प्रस्तुत नही होने से आवेदन पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किऐ है जो कतई विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर प्रश्नगत भूमि मे प्रथम दृष्टया सायलान/रेस्पो0 सं. 1 ता 5 का हक हिस्सा किस प्रकार एवं कितना बनता है, का कोई उल्लेख किऐ बिना ही मात्र अपीलांट/गैरसायलान के गैर हाजिर होने के आधार पर उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है।

4. अपीलांट राजस्व अभिलेख मे दर्ज भूमि अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं प्रश्नगत भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.05.78 खरीदादार खातेदार काश्तकार है। इसलिए कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से एक खातेदार काश्तकार को पाबंद नही किया जा सकता है एवं ना ही न्यायालय को 1978 के रजिस्टर्ड बैयनामे को इतना समय व्यतीत होने के बाद कानूनन निरस्ती का क्षेत्राधिकार है। अगर अपीलांट को विचारण न्यायालय का नोटिस प्राप्त होता तो अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित होता परन्तु अपीलांट को किसी प्रकरण बाबत कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ और ना ही तहसील कार्यालय के सवार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण बाबत कोई नोटिस दिया बल्कि काशीराम बनाम स्वरूपसिंह आदि नामक प्रकरण के बारे मे ही सूचना देने अवश्य आया था कहा था कि गांव मे राजस्व अभियान के दौरान आपके दावा काशीराम बनाम स्वरूपसिंह मे राजीनामा द्वारा निर्णित करवाना है तो आ जाना एवं इस हेतु अपीलांट के दो कागजो पर हस्ताक्षर

करवाऐ थे परन्तु किसी नोटिस वगैरा की प्रति नही दी थी। इसलिए अपीलांट ने दावा मे अपने अधिवक्ता से राय की तो उन्होने कहा कि अभियान मे राजीनामा से ही निर्णय होना है इसलिये आपको कैम्प मे जाने की आवश्यकता नही है इसी कारण अपीलांट कैम्प मे उपस्थित नही रहा तथा अपीलांट को अपीलांट की निर्णय का ज्ञान नही रहा। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील भीतर मियाद स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि दावा मे वर्णित तथ्यो के अनुसार रेस्पो0 सं. 1 ता 5 के दादा एवं अपीलांट व रेस्पो0 सं. 6 के पिता हेमराज की पुश्तैनी भूमि को बैचकर खरीद की हुई भूमि है तथा जो राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि गांव कणाऊ के खाता सं. 274/272 मे रूपसिंह पुत्र हेमराज अपीलांट के नाम 320 हिस्सा व हेमराज वल्द जीवण अपीलांट के पिता के नाम 202 हिस्सा व खाता सं. 93/66 मे रेस्पो0 सं. 6 काशीराम व रेस्पो0 सं. 4 ता 5 के पिता सुमेर व अपीलांट स्वरूपसिंह पि. हेमराज के नाम 300 हिस्सा दर्ज है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जबकि अपीलांट एक रिकार्डेड खातेदार कश्तकार जिसे साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 निरस्त किया

जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़